फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती तुलछाबाई — **विपक्षी : श्री तुलसीराम**

किस्म मुकदमा –188 रा.का. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 62/23**

जीसीएमएस : 2023/211

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 22.11.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीया उपस्थित। अधिवक्ता वादीया की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीया की एकतरफा बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादीया द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर मौजा पलानाखुर्द पटवार हल्का पलानाखुर्द की आराजी नम्बर 2790 पर आने जाने के रास्ते को अवरूद्ध कर देने का कथन कर रास्ता खुलवाने से सम्बन्धित पेश किया गया हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत् अवरूद्ध रास्ता नहीं खुलवाया जा सकता। वादीया द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद इस न्यायालय में पेश कर दिया गया है जबकि वादीया को बन्द रास्ते को खुलवाने हेतु सक्षम न्यायालय (तहसीलदार) में आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था परन्तु वादीया द्वारा ऐसा नहीं किया गया। वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण स्थाई निषेधाज्ञा का नहीं होकर बन्द रास्ते को खुलवाने का हैं जिसको सुनने का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं हैं। प्रकरण में तहसीलदार घासा को धारा 251 के तहत् प्रकरण दर्ज कर सुनने का अधिकार हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार घासा को निर्देशित किया जाता है कि धारा 251 के तहत् प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान को विधिवत् सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करें। जरिये अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुचित किया जाता है कि न्यायालय तहसीलदार घासा में दिनांक 20.12.2024 को उपस्थित रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **[illegible]) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:49:31 IST
Reason: SelfAttested